न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00319

1. दिनेश कुमार आयु 47 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. मुकेश कुमार आयु 43 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राधा बाई आयु 60 वर्ष पत्नी कल्याणमल जाति माली निवासी छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. बडोदा राज0 ग्रामीण बैंक जरिये प्रबन्धक शाखा इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बालकिशन रायका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छत्रपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में कुल 15 किता की रकबा 1.98 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण कम 01 के संयुक्त खाते में अंकित है। उक्त भूमि में वादी कम 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व वादी कम 02 का 1/3 प्रतिवादी कम 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को पृथक से अपने खाते में दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे और विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को उनके पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2013 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री जारी की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें दिनांक 20.11.2013 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई थी और अपीलाधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट को सूचना दिये बिना बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गई है । तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये हैं । अपीलान्ट की आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गौर नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में अंतिम डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव

तैयार करने चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव के साथ पक्षकारों के हिस्से को पृथक–पृथक दर्शाते हुए नजरी नक्शा शामिल नहीं किया गया है । इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.02.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा